न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 339 / 2021

प्रार्थी :– देवीसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सराणा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :– 1 श्री झूंजाराम पटेल प्रार्थी वकील

2 सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :– 4.05.2022

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत के पास कटान रास्ता आया हुआ है, इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 1179 / 664 रकबा 23–04 बीघा मौजा सराणा में आवागमन करने हेतु विप्रार्थी सरकार के खाता के खसरा नंबर 1168 / 664 रकबा 43–11 बीघा मौजा सराणा में से 15 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा न0 1168 / 664 रकबा 43–11 बीघा में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ए,बी,सी,डी में बरंग लाल रास्ता 15 फिट चौडा रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र [illegible] राजस्व / 2020 / 2299 दिनांक 05.01.2022 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई [illegible] के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा सराणा [illegible] आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा न[illegible] 1179 / 664 के नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1168 / 664 भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है, में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 28080 / रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 0–08 बीघा भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा सराणा के खेत खसरा न0 1179/664 व नजरी नक्शा रिपोर्ट में बताए अनुसार प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 0–08 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा सराणा के खसरा संख्या 1179/664 रकबा 23–04 बीघा की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी सरकार के खाते से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा न0 1179/664 रकबा 23–04 बीघा मौजा सराणा मे पटवार हल्का सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 1168/664 रकबा 43–11 बीघा भूमि में से नया मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को रास्ते हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 35100/ – प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 0–08 बीघा भूमि की राशि 14040/रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 28080/– रूपये तहसीलदार तहसीलदार राजकोष में भुगतान करे, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 03.01.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:20:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा